<u>न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा</u> ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 253/2026

विजय यादव उर्फ बिजो यादव बनाम बिहार सरकार

गिरियक थाना कांड सं0 263/2024
अंतर्गत धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 ।

<u>16.03.2026</u>

अभियुक्त **विजय यादव उर्फ बिजो यादव** जिन्हें दिनांक 05.02.2026 को गिरियक थाना कांड सं0 459/25 से इस वाद में रिमांड किया गया है, उनकी ओर से दाखिल नियमित जमानत आवेदन पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता श्री कामेश प्रसाद तथा विद्वान लोक अभियोजक श्री अनुज कुमार का तर्कपूर्ण बहस सुना ।

अभियोजन का वाद संक्षेप में यह है कि सूचक दिनांक 23.07.2024 को 04:00 बजे अपने विद्यालय से घर आ रहा था तो उसी क्रम में दो बाइक सवार दोनों पर दो–दो व्यक्ति था, उसका पीछा कर पावापुरी में ओवर ब्रिज पर होटल अभिलाषा के आगे ओवरटेक कर रूकवाया और उसका मोबाइल, बैग जिसमें रेनकोट, 11,500/ रूपया एवं जरूरी कागजात था, ले लिया।

बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आवेदक निर्दोष है, उन्हें इस वाद में झूठे व गलत आधार पर फंसा दिया गया है । प्राथमिकी अज्ञात के विरूद्ध दर्ज की गई है। आवेदक को शक के आधार पर इस मुकदमा में रिमांड कराया गया है। उनका यह भी कथन है कि आवेदक के विरूद्ध चोरी करने का आरोप नहीं लगाया है, तथा उनके पास से चोरी का सामान बरामद नहीं किया गया है। आवेदक के विरूद्ध पूर्व से 08 वाद लंबित है जिसका वर्णन जमानत आवेदन के पैरा 03 में किया गया है। वह दिनांक 05.02.2026 से कारा में संसीमित है। अतः इन्हें जमानत का लाभ प्रदान किया जाए।

विद्वान लोक अभियोजक आवेदक के उक्त जमानत आवेदन का विरोध करते है ।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अभिलेख तथा विचारण न्यायालय अभिलेख का अवलोकन किया और पाया कि आवेदक प्राथमिकी का नामित अभियुक्त नहीं है । वह दिनांक 05.02.2026 (करीब डेढ़ माह) से न्यायिक हिरासत में है ।

अतः मामले के सभी तथ्यों व परिस्थितियों तथा विशेष रूप से आवेदक के कारावधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक 10,000/– रु0 के जमानत तथा उसी राशि के समतुल्य दो प्रतिभूओं वाले बंधपत्र दाखिल करने पर, संबंधित विचारण न्यायालय की संतुष्टि पर **<u>आवेदक को वाद के विचारण तक औपबंधिक जमानत का</u>**

न्यायालय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम सह विशेष न्यायाधीश, बिहारशरीफ, नालन्दा ।

नियमित जमानत आवेदन संख्या 253/2026

विजय यादव उर्फ बिजो यादव बनाम बिहार सरकार

गिरियक थाना कांड सं0 263/2024

अंतर्गत धारा 309(4), 317(2) बी0एन0एस0 ।

लगातार

16.03.2026

लाभ इस शर्त पर दिया जाता है कि वह आरोप का गठन होने के पश्चात बंधपत्र दाखिल करेंगे तथा आवेदक वाद विचारण तक प्रत्येक तिथि को न्यायालय में उपस्थित रहेंगे ।

(लेखापित एवं संशोधित)

(संजीव कुमार सिंह)
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, प्रथम
सह विशेष न्यायाधीश,
नालन्दा, बिहारशरीफ।